न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1113–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–12–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 207/अपील/2007–08

.....

प्रदीप मोहने आत्मज श्री खुश्याल मोहने
निवासी ग्राम चिचोलीढाना तहसील भैंसदेही,
जिला बैतूल म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती मालती बाई विधवा तुलसीराम किराड़
निवासी ग्राम सातनेर तहसील भैसदेही
जिला बैतूल म0प्र0

..... अनावेदिका

.....

श्री यशबंत साहू, अभिभाषक–आवेदक

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक–अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/10/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सातनेर स्थित भूमि सर्वे कमांक 446 रकबा 7.458 हेक्टेयर पर नामान्तरण पंजी कमांक 86 में पारित आदेश

दिनांक 15–12–1997 से अनावेदिका मालती के साथ सहखातेदार के रूप में आवेदक का नाम दर्ज किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–6–2006 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की जाकर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–1997 स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 7–12–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा समस्त हितबद्ध पक्षकारों बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित करने में वैधानिक भूल की गई है।

(2) अपर आयुक्त द्वारा इस महत्वपूर्ण वैधानिक बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर सभी पक्षकारों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है ।

(3) अनावेदिका मालती द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपने आप को मृतक भूमिस्वामी की दूसरी पत्नी बताया है, जबकि तुलसीराम की दोनों विवाहिता पत्नीयों की मृत्यु हो चुकी है और अनावेदिका मृतक भूमिस्वामी तुलसीराम की विवाहित पत्नी नहीं है, क्योंकिं अनावेदिका मालती अपने आप को तुलसीराम की पहली पत्नी बता रही है, जबकि तुलसीराम की पहली पत्नी कस्तूरी थी । हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम में दूसरी पत्नी को कोई अधिकार नहीं है। तुलसीराम की दोनों पत्नीयों की मृत्यु हो चुकी है ।

पंजी में भी काटपीट की गई है । संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत केवल सहखातेदारों के मध्य ही भूमियों का बटवारा किये जाने का प्रावधान है और किसी व्यक्ति का नाम न तो जोडा जा सकता है और न ही कम किया जा सकता है । स्पष्ट है कि नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश पूर्णत अवैधानिक एवं अनुचित आदेश है। इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय के अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदिका के जीवित रहते आवेदक का नाम सहखातेदार के रूप में जोडा गया है, जो कि प्रथमदृष्टया ही अवैधानिक कार्यवाही है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत होकर अभिलेख से प्रमाणित है । यहॉ महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है कि आवेदक द्वारा अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय वर्ग–2 भैंसदेही के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था और व्यवहार वाद कमांक 08ए/2013 में व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 25–6–15 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि नामान्तरण पंजी कमांक 86 में काटपीट की गई है, आवेदक का वाद निरस्त किया गया है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। अतः उपरोक्त वैधानिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी व तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–12–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर

(4) अनावेदिका मालती द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 15–12–1997 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 23–8–05 को लगभग 12 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जो कि असाधारण विलम्ब है ।

(5) अविवादित नामान्तरण अथवा बटवारा करने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त है और तीनों भूमिस्वामियों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा बटवारा आदेश पारित किया गया है, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में पूर्णत् विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(6) सहमति के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित करने में रजिस्ट्री अथवा पंजीकृत दस्तावेज की बाधा नहीं आती है । अपर आयुक्त द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है ।

(7) तहसीलदार न्यायालय द्वारा प्रस्ताव कमांक 6/1 के आधार पर संशोधन कमांक 86 में खसरा नम्बर 446, 230, 245, 214 के संबंध में आदेश पारित किया गया था, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा सर्वे नम्बर 446 भूमि के साथ अन्य सर्वे नम्बर की भूमियों के संबंध में नामान्तरण आदेश निरस्त कर दिया गया है, जो कि विधि विपरीत कार्यवाही है ।

(8) नामान्तरण पंजी में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संलग्न है, जिसमें सरपंच एवं उप सरपंच के हस्ताक्षर है । ऐसी स्थिति में संशोधन को अवैधानिक करार देने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । उनके द्वारा द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, जो प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नामान्तरण पंजी प्रविष्टि कमांक 86 को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा बिना किसी विधिक दस्तावेज के आवेदक का नाम सहखातेदार के रूप में प्रश्नाधीन भूमियों पर दर्ज किया गया है और नामान्तरण